सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

<u>सिटिंग नोटिस</u>

फा. सं: NCST/DEV-6237/CG/371/2025-RO-RPR/RU-I

दिनांक: 13.07.2026

सचिव,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली,
नई दिल्ली-110011,
ई-मेल: secyhfw@nic.in

सचिव,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर,
अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492002
ई-मेल: secy-health.cg@gov.in

पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़ शासन,
पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर,
जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001
ई-मेल: dgp-chattisgarh@yahoo.co.in

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-रायपुर,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर,
छत्तीसगढ़- 492001
ई-मेल: cmho_ralpur@yahoo.co.in

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला-रायपुर,
कचहरी चौक, कलेक्ट्रेट कैंपस,
रायपुर, छत्तीसगढ़-492001,
ई-मेल: collector-rpr.cg@gov.in

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला-रायपुर,
कचहरी चौक ,कलेक्ट्रेट कैंपस,
रायपुर, छत्तीसगढ़-492001
ई-मेल: raipurpolice@gmail.com

विषय: अभ्यावेदिका सुश्री नुपुर एक्का, जिला-जशपुर (छ.ग.) से प्राप्त अभ्यावेदन "मित्तल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायपुर द्वारा कथित रूप से आयुष्मान योजना में धोखाधड़ी, अवैध वसूली, सरकारी दवाइयों की अवैध बिक्री, आर्थिक शोषण, तथा डॉ. सुमन मित्तल द्वारा ST परिवार को धमकी व मानसिक प्रताड़ना के संबंध में कठोर कार्यवाही करने के संबंध में।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 24.11.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लेखित प्रकरण का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **<u>दिनांक 23.07.2026</u>** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि पर उक्त प्रकरण से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **<u>व्यक्तिगत रूप से</u>** माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष परीक्षण के लिए अपनी उपस्थित सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ:-</u>

सुश्री नुपुर एक्का,
पुत्री श्री शशि कान्त एक्का,
ग्राम व पोस्ट-तपकरा, जिला-जशपुर (छ.ग.),
Mobile No:9301649620
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

https://mail.google.com/mail/u/0/?service=mail&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=AccountChooser&ec=asw-gmail-globalnav-signin#label/AS... 2/2

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body exercising the powers of a civil court under Article 338A of the Constitution of India)

(छत्तीसगढ़ के लिए क्षेत्रीय कार्यालय)

(Regional office for Chhattisgarh)

नोटिस

फा. सं.: **NCST/DEV-6237/CG/371/2025-RO-RPR/RU-I** 675 दिनांक: 24 /11 /2025

1. **सचिव**
   स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
   भारत सरकार,,
   निर्माण भवन, नई दिल्ली,
   नई दिल्ली -110011

2. **सचिव**
   स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
   मंत्रालय, महानदी भवन,
   अटल नगर, नवा रायपुर,
   रायपुर, छत्तीसगढ़ -492101

3. **पुलिस महानिदेशक**
   छत्तीसगढ़ शासन,
   पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर,
   रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001

4. **कलेक्टर**
   जिला - रायपुर,
   रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001

5. **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक**
   जिला - रायपुर,
   रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001

6. **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी**
   जिला - रायपुर,
   छत्तीसगढ़- 492001

विषय: अभ्यावेदिका सुश्री नुपुर एक्का, जिला - जशपुर (छ.ग.) से प्राप्त अभ्यावेदन "मित्तल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायपुर द्वारा कथित रूप से आयुष्मान योजना में धोखाधड़ी, अवैध वसूली, सरकारी दवाइयों की अवैध बिक्री, आर्थिक शोषण, तथा डॉ. सुमन मित्तल द्वारा ST परिवार को धमकी व मानसिक प्रताड़ना के संबंध में कठोर कार्यवाही करने के संबंध में।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सुश्री नुपुर एक्का से दिनांक 31/10/2025 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **7 दिन के अंदर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** जारी कर सकता है।

राष्ट्रीय अनु. जनजाति आयोग
प्रेषित/Issue 669 to 675
दिनांक 24/11/2025

(प्रदीप कुमार दास)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

सुश्री नुपुर एक्का,
पुत्री श्री शशि कान्त एक्का,तपकरा
जिला - जशपुर (छ.ग.),
Mobile No:9301649620

प्लाट नं. 3/16, ईएसी कॉलोनी, प्रथम तल, जिला न्यायालय के पीछे, पूर्णिमा स्कूल के पास, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492001
EAC Colony, Plot No. 3/16, 1st Floor, Behind District Court, Near Poornima School, Raipur (Chhattisgarh) - 492001
E-Mail : ro-raipur@ncst.nic.in, Telefax: 0771 - 2443335

Ashok_0006.jpg